भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1170
उत्तर देने की तारीख: 25.07.2022

असुरक्षित स्कूल भवन

1170. श्री बालक नाथ:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के अलवर और अन्य जिलों में असुरक्षित भवनों में संचालित हो रहे स्कूलों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीति आधारित तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई कदम उठाये हैं/उठाये जा रहे हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है और इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रशासित स्कूलों में स्कूली बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य क्षेत्र में आता है। सरकार राजस्थान के सभी स्कूलों के लिए सभी संकेतकों का यू-डीआईएसई+ (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली) डेटा एकत्र करती है, जिसमें प्रत्येक वर्ष स्कूल स्तर पर भरे गए ऑनलाइन डेटा कैप्चर फॉर्मेट (डीसीएफ) के माध्यम से ऐसे कमरे शामिल किए जाते हैं जिनकी बड़ी मरम्मत की जरूरत है और सरकारी स्कूल जिनमें जीर्ण-शीर्ण भवन शामिल हैं। समग्र शिक्षा योजना स्कूलों की सुरक्षा और बेहतर कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी मरम्मत संबंधी व्यय हेतु सहायता करती है। परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक समग्र शिक्षा के तहत प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, जिसमें राजस्थान सहित प्रत्येक राज्य अन्य बातों के साथ-साथ उन स्कूलों का प्रस्ताव करता है जिन्हें बड़ी मरम्मत की आवश्यकता होती है। समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) राजस्थान राज्य द्वारा तैयार किया जाता है जिस पर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक में विचार किया जाता है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 में, पीएबी ने राजस्थान राज्य के लिए 32 जीर्ण-शीर्ण भवनों और 37 स्कूलों में बड़ी मरम्मत के लिए कुल 30.75 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

(ग) और (घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल सुरक्षा और संरक्षा संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के मामले में स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के प्रावधान शामिल हैं। ये दिशानिर्देश दिनांक 01.10.2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/डीओएसईएल के स्वायत्त निकायों और हितधारक मंत्रालयों को

परिचालित किए गए हैं। दिशानिर्देशों में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों और विभिन्न विभागों की जवाबदेही का विवरण दिया गया है। केंद्र द्वारा जारी दिशा–निर्देश सलाहकारी प्रकृति की हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उन्हें कार्यान्वित करने की अपेक्षा की जाती है और वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार, यदि आवश्यक समझा जाए, तो इसमें परिवर्धन/संशोधन शामिल कर सकते हैं। ये दिशानिर्देश इस मंत्रालय की वेबसाइट https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2021-10/guidelines_sss.pdf पर अपलोड किए गए हैं।

*****